मा0 उच्च न्यायालय के आदेश

संख्या-510W/नौ-4-15-73डब्ल्यू/2015 टीसी।।

प्रेषक,

आलोक रंजन

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक- 09 अक्टूबर, 2015

विषयः रिट याचिका संख्या-54927/15 बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक-05.10.15 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

रिट याचिका संख्या-54927/15 बोधिसत्व समाज सेवा संस्थान बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य में सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नागर निकायों में लेखों की वाहय सम्परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक-05.10.15 को जो आदेश पारित किये गये है उसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः-

The chief Secretary of the State is directed to order for external audit of all Nagar Nigam, Nagar Palikas ect. of the State immediately.

2. मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक-05.10.15 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रदेश के समस्त नागर निकायों के लेखों की वाहय सम्परीक्षा (external audit) कराते हुए तीन माह में कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित है। अतः सर्वोच्च प्राथमिता अपेक्षित है।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव।

संख्या-510W ()/नौ-4-15-73डब्ल्यू/2015 टीसी।। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलितखत को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)

विशेष सचिव

Anil Go 2015. 214